

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक



वाद सं०- 150-... 47 / 20.19

धारा-107 द०प्र०सं०


रिपदा मल्ली

बनाम

गण्डलाल मल्ली वगैरे

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम... 47 / 20.19 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>सोनाचंड</u> के अप्राथमिकी सं०- 09/19 दिनांक- 17-6-19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>जमीनी विवाद खबल 121 प्लॉट नं० 13 खबल 1.50 डी० की लैक उभय पक्ष में बनाव है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 24/07/19 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
29-11-19	<p>उमय पत्र अडपरीजत / कार्यपालक दण्डा विधान सभा निर्वाचन कार्य के अन्तर्गत दिनांक 20-12-19 को 22वें</p>	
20-12-19	<p>उमय पत्र अडपरीजत / कार्यपालक दण्डा विधान सभा निर्वाचन कार्य के अन्तर्गत दिनांक 10-01-20 को 22वें</p>	
10 $\frac{01}{2020}$	<p>आपिलेशन उपस्थापित / उमय पत्र अडपरीजत एक बार्ड के उमय पत्र को दिनांक 10-07-2019 को गोरिल निर्गत किया गया / गोरिल के अन्तर्गत के दिनांक पत्र उमय पत्र दिनांक 26-07-19 से उसके अन्तर्गत पर अडपरीजत / दिनांक पत्र दिनांक 09-08-2019 को न्यायान्त के अन्तर्गत एक बार्ड के 6(6) गार्ड की अवधि पूर्ण हो चुकी है इसके अन्तर्गत होगा कि बाद के शक्ति कायम हो कर बाद के आपिलेशन की कार्रवाई बन्द की जाती है</p>	

  
 कार्यपालक दण्डाधिकारी  
 उच्च (रांची)

  
 कार्यपालक दण्डाधिकारी  
 उच्च (रांची)